

सवाई राम गुजर

कानून के अधीन ०० इतिहास गुजर

किस्म मुकदमा धारा २१२ RTA

मु.नं. ५२ स. १७

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
11/5/17	पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक 10/5/17 को पेश हो।	मु. नं. ५२ स. १७
10/5/17	<p style="text-align: center;">सहायक कमलक्टर (सुपखण्ड अधिकारी) अय्यपुर</p> <p><del>पत्रावली पेश हुई जो कि जवाब प्रार्थना</del>  आपके द्वारा दत्त सेवा केन्द्र बोरियापुर  पेश हुई प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधीन  स्थिति है। विपक्षी सं. २ नारायण  है विपक्षी सं. १ बलरुद्र कुचन के  अधीन गरी है। अतः उनके सिपाय  एक तरफ कार्यवाही की जाती है  पत्रावली का इतना जवाब दिया गया  तथा क्वटस सुनी गयी एवं बलरुद्र  पर गवन किया गया। द्वारा बोझा  पत्रावली एवं बोरियापुर के के के के  हलका जवाब में प्रार्थी एवं विपक्षीगण  के समुक्त खोलेदार अधिकाय एवं समुक्त  कलज की जवाबी सं. २३१ खका  ०.१६ हे सं. २३२ खका ०.१५ हे आस  २३६ खका ०.८० हे अतः ३ खका  १-१० हे अतः प्रार्थी की अधीन एवं से सिपाय</p>	सहायक नारायण

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

बन्धुकराय वाद हुक्म अस्तवियात जो  
जिसी हुक्म जो रहन साथ कहीय  
या हुक्म तरीके से हस्तान्तरित नहीं  
करने की इत्थारि विवेचना फिरनह  
विपक्षीय लक्ष्मीप्रा मुख वाद के  
विस्तारण तक जारी की जाती है।  
साद सखला फावली गिरिधर कुमार  
द्वारा नम्बर के क्रम से हुक्म फावली  
मुख फावली सं 117 के साथ सजाव  
की जावे।

विगत सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उप-डिप्टी अधिकारी)  
रायपुर (भीलवाडा)